



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या – 2773/2026

श्रीमती खुशी सुशील मिश्रा एवं एक अन्य

... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ एवं 3 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – फ़िरोज़ अहमद खान, मो. वकार खान

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 11

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अम्बरीश कुमार, राज्य- प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत विपक्षी संख्या 4 को नोटिस जारी करना उन्मोचित किया जाता है।
3. यह रिट याचिका प्रतिवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ताओं याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में बाधा न डालने का निर्देश देते हुए परमादेश रिट जारी करने का अनुरोध करते हुए दायर की गई है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दोनों याचिकाकर्ता वयस्क हैं और उन्होंने दिनांक 15.03.2026 को अयोध्या के एक मंदिर में अपनी स्वेच्छा से एक-दूसरे से विवाह किया है। याचिकाकर्ताओं के वयस्क होने के समर्थन में, उन्होंने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र और हाई स्कूल की अंकतालिका की प्रतियां संलग्न की हैं जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 1 की जन्म तिथि 14.02.2004 है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 की जन्म तिथि 21.04.2006 है। यह तर्क दिया गया है कि विपक्षी संख्या 4 इस विवाह से प्रसन्न नहीं हैं और इस कारण वह याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

5. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य- 2006*

(5) एससीसी 475 में प्रदत्त निर्णय का उल्लेख करना समीचीन होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-17 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"17. यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिक से अधिक यह कर सकते हैं कि वे पुत्र या पुत्री के साथ सामाजिक संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते या हिंसक घटनाओं को कारित नहीं कर सकते या उकसा नहीं सकते और न ही ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए, हम यह निर्देश देते हैं कि सम्पूर्ण देश में प्रशासनिक /पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई वयस्क लड़का या लड़की, किसी वयस्क महिला या पुरुष के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है, तो उस युगल को किसी के द्वारा न तो उत्पीड़ित किया जाए और न ही उन्हें धमकी या हिंसा का शिकार बनाया जाए, और जो कोई भी ऐसी धमकी देता है या उत्पीड़न करता है या हिंसा करता है, चाहे वह स्वयं हो या उसके उकसावे पर हो, पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही संस्थित कर उन्हें दंडित किया जाए और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुरूप कड़ी कार्रवाई की जाए।"

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने विवाह के चित्र संलग्न किये हैं, फिर भी याचिकाकर्ता संख्या 2 ने विवाह योग्य आयु प्राप्त नहीं की है और उसकी आयु 21 वर्ष से कम है।

उनका यह कथन भी है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के पिता द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है।

7. इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *नंदकुमार एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य: (2018)*

16 एससीसी 602 के मामले में घोषित निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नवत टिप्पणी की है:-

"10. हमारे उद्देश्यों के लिए, यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता 1 और थुशारा दोनों वयस्क हैं। भले

ही वे विवाह बंधन में बंधने में सक्षम नहीं थे (यह स्थिति स्वयं ही विवादित है), उन्हें विवाह के बिना भी साथ रहने का अधिकार है। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि 'लिव-इन' संबंधों को अब स्वयं विधायिका द्वारा ही मान्यता प्रदान की गई है, जिसने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है।"

8. उपरोक्त के दृष्टिगत विपक्षीयता को किसी भी रूप में याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने के निर्देश के साथ, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस मुद्दे पर कोई प्राथमिकी पहले से दर्ज है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा।
10. हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की आयु और न ही लिव-इन संबंध/विवाह की सत्यता/वैधता पर कोई निर्णय लिया है और न ही विचार किया है।
11. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता संख्या 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अपना बयान दर्ज कराने के लिए दिनांक 06.04.2026 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा, ऐसा न करने पर अभियोजन पक्ष या शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन दिए जाने पर यह अंतरिम सुरक्षा वापस ली जा सकती है।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

30 मार्च, 2026

प्रतीक